रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 142] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 20, 2014/श्रावण 29, 1936
No. 142] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 20, 2014/SHRAVANA 29, 1936

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2014

आ.अ. 187(अ).—यतः, उत्तर प्रदेश राज्य से लोक सभा में उस राज्य के 21—मैनपुरी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित, श्री मुलायमसिंह यादव का स्थान उनके त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 29 मई, 2014 को रिक्त हो गया है; और

2. यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप–निर्वाचन कराया जाना है ;

3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 की उप–धारा (1), तथा धाराओं 30 और 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा –

(अ) उत्तर प्रदेश राज्य में उक्त 21–मैनपुरी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि वह 19 सितम्बर, 2014 (शुक्रवार) से पूर्व तथा उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार लोक सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित करें ;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में –

(क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख	: 27 अगस्त, 2014 (बुधवार);
(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	: 28 अगस्त, 2014 (बृहस्पतिवार);
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	: 30 अगस्त, 2014 (शनिवार);
(घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान होगा	: 13 सितम्बर, 2014 (शनिवार); और

(ड.) वह तारीख, जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा : 19 सितम्बर, 2014 (शुक्रवार);

नियत करता है; और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उपरोक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान होगा ।

[सं. 100/उ.प्र.–लो.स./1/2014]

आदेश से,

आर. के. श्रीवास्तव, प्रधान सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th August, 2014

O. N. 187(E).—Whereas, the seat of Shri Mulayam Singh Yadav, in the House of the People, elected from 21-Mainpuri Parliamentary Constituency in the State of Uttar Pradesh has become vacant on 29th May, 2014 by the reason of his resignation ; and

2. Whereas**,** a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of Section 149, and Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby:—

(A) calls upon the said 21-Mainpuri Parliamentary Constituency in the State of Uttar Pradesh to elect, before the 19th September, 2014 (Friday), and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the House of the People;

(B) appoints, with respect to the said election:—

(a) the 27th August, 2014 (Wednesday), as the last date for making nominations;

(b) the 28th August, 2014 (Thursday), as the date for the scrutiny of nominations;

(c) the 30th August, 2014 (Saturday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 13th September, 2014 (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken;

(e) the 19th September, 2014 (Friday), as the date before which the election shall be completed; and

(C) fixes the hours from 7.00 A.M. to 6.00 P.M. as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

[No. 100/UP-HP/1/2014]

By Order,

R. K. SRIVASTAVA, Principal Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.